राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

E-mail : caodlb@gmail.com Fax – 0141 – 2223074/2222403

क्रमांक : PA/CAO/DLB/446/गो सं.(व.नि.)/2020/2355-2567 दिनांक : 18.08.2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत 180 दिवस की सहायता राशि के सम्वन्ध में गोपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, यह सहायता राशि 90–90 दिवस के दो चरणों में दी जाती है जिसमे प्रथम चरण अप्रेल,मई व जून तथा द्वितीय चरण जनवरी,फरवरी व मार्च है। सहायता राशि के वितरण से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का नियमानुसार पूर्ण होना आवश्यक है तथा इसके लिए समय अवधि भी निर्धारित है जिसकी पालना नही किये जाने के कारण सहायता राशि के वितरण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

गोपालन विभाग द्वारा प्रथम चरण अप्रेल, मई व जून 2020 की सहायता राशि के वितरण हेतु दिनांक 10.07.2020 को दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या 01 निधि से लाभान्वित होने वाली पात्र संस्थाओं में **स्थानीय निकायों एवम् पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कांजी हाउस** भी सम्मिलित है। अतः गौपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की छाया प्रति संलग्न प्रेपित कर समस्त को निर्देशित किया जाता है कि गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

Sd
(दीपक नन्दी)(IAS)
निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक : PA/CAO/DLB/446/गो सं.(व.नि.)/2020/2568 दिनांक : 18.08.2020

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त निदेशक व सिस्टम एनलिस्ट, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बलबीर सिंह)
वित्तीय सलाहकार

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

स्वायत्त शासन भवन जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी, सिविल लाईन फाटक, जयपुर

E-mail : caodlb@gmail.com Fax – 0141 – 2223074/2222403

क्रमांक : PA/CAO/DLB/446/गौ संरक्षण/2020/2355-2567 दिनांक : 18/08/2020

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकायें,
समस्त राजस्थान।

विषय : गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत 180 दिवस की सहायता राशि के सम्बन्ध में गौपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत 180 दिवस की सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है, यह सहायता राशि 90–90 दिवस के दो चरणों में दी जाती है जिसमे प्रथम चरण अप्रेल,मई व जून तथा द्वितीय चरण जनवरी,फरवरी व मार्च है। सहायता राशि के वितरण से पूर्व निर्धारित प्रक्रियाओं का निमयानुसार पूर्ण होना आवश्यक है तथा इसके लिए समय अवधि भी निर्धारित है जिसकी पालना नही किये जाने के कारण सहायता राशि के वितरण में अनावश्यक विलम्ब होता है।

गौपालन विभाग द्वारा प्रथम चरण अप्रेल, मई व जून 2020 की सहायता राशि के वितरण हेतु दिनांक 10.07.2020 को दिशा निर्देश जारी किये गये है। इन निर्देशों के बिन्दु संख्या 01 निधि से लाभान्वित होने वाली पात्र संस्थाओं में **स्थानीय निकायों एवम् पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कांजी हाउस** भी सम्मिलित है। अतः गौपालन विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की छाया प्रति संलग्न प्रेषित कर समस्त को निर्देशित किया जाता है कि गौसंरक्षण एवम् संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत सहायता राशि प्राप्त करने हेतु नियमानुसार आवश्यक अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावे।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार।

(दीपक नन्दी)(IAS)
निदेशक व विशिष्ट शासन सचिव

दिनांक :

क्रमांक :

प्रतिलिपि :–

01. संयुक्त निदेशक व सिस्टम एनलिस्ट, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु।

(बलबीर सिंह)
वित्तीय सलाहकार

[illegible]

[illegible] 17614 [illegible] 10/07/2020

दिशा-निर्देश

गौशालाओं का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों द्वारा जनसहयोग, दानदाताओं, भामाशाह के माध्यम से किया जाता है एवं समय-समय पर गौशाला संचालकों द्वारा राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि गौशाला संचालन में धन-अभाव के चलते कठिनाईयां आती है जिनके कारण संधारित गौवंश को निरन्तर पर्याप्त मात्रा में चारा-पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा भी कुछ मदद इन गौशालाओं को देने का निर्णय लिया है। निराश्रित, अपाहिज एवं वृद्ध गौवंश के पालन पोषण हेतु संचालित गौशालाओं को राज्य सरकार द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि अन्तर्गत आर्थिक सहयोग दिये जाने का प्रावधान है। गौशालाओं को आर्थिक सहयोग दिये जाने के क्रम मे वित्तीय वर्ष 2020-21 के प्रथम चरण (अप्रैल, मई एवं जून 2020) की सहायता राशि वितरण हेतु निम्न प्रकार दिशा-निर्देश जारी किये जाते है :-

1. <u>निधि से लाभांवित होने वाली पात्र संस्थाएं :-</u>

i. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1958 या तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाएं।

ii. नंदी गौशाला।

iii. स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित कांजी हाउस।

iv. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।

2. <u>संस्थाओं द्वारा आर्थिक सहायता हेतु पात्रता की शर्तें :-</u>

i. संस्था में न्यूनतम 200 गौवंश (टैगशुदा) का संधारण तथा 2 वर्ष पुराना पंजीयन एवं नियमित संचालन आवश्यक होगा। गौशाला/संस्था द्वारा सहायता राशि दिये जाने की अवधि में जिस तिथि तक दो वर्ष पूर्ण कर लिये गये हो उसकी शेष अवधि के लिए सहायता राशि देय होगी।

ii. संस्था द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जिला, ग्राम, गौशाला तथा गौवंश का रजिस्टर क्रमांक संधारित किया जायेगा तथा प्रत्येक गौवंश का नम्बर पृथक-पृथक अर्थात Unique होगा। गौशाला में गौवंश के लिए भारत सरकार के INAPH कार्यक्रम अन्तर्गत जारी दिशानिर्देशानुसार टैगिंग करवाई जायेगी। पूर्व में टैग किये गये गौवंश को 12 डिजिट का टैग लगाया जा सकेगा।

iii. गौशाला को उक्त टैग की संख्या के आधार पर अपने कार्यालय में गौवंश का एक रजिस्टर संलग्न निर्धारित प्रपत्र में संधारित करना होगा। किसी गौवंश की मृत्यु/स्थानान्तरण/दान/विक्रय या अन्य कारणों से गौशाला से निकास हो जाता है तो इसका रजिस्टर में लाल स्याही से अंतिम कॉलम में अंकित करना अनिवार्य होगा ताकि भौतिक सत्यापन के समय स्थिति स्पष्ट हो सके।

iv. टैग सम्बन्धित गौशाला द्वारा स्वयं के स्तर से क्रय किये जावें परन्तु टैगिंग संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के निर्देशानुसार सम्बन्धित पशु चिकित्साकर्मियों द्वारा गौशाला प्रबन्धन के सहयोग से लगवाये जायेंगे।

v. संधारित गौवंश पर यदि टैग पहले से ही लगा हुआ हो तो उस टैग नं. के आधार पर संबंधित गौवंश का इन्द्राज निर्धारित रजिस्टर (निर्धारित प्रपत्र) में गौशाला प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित करना होगा साथ ही निर्धारित प्रपत्र में संधारित गौवंश की सूचना MS Excel Sheet में

14/07/2020

PA

17/7

vi. संस्था द्वारा [illegible] सुधार एवं [illegible]करण हेतु [illegible] ऊपर सभी नर गौवंश का बधियाकरण करवाना आवश्यक होगा। [illegible] सहायता राशि देय नहीं होगी।

vii. संस्था द्वारा गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन [illegible] निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अन्तर्गत जब्त अथवा जिला प्रशासन द्वारा [illegible] सुपुर्द [illegible] ही पूर्ण रूप से निराश्रित /असहाय/ विकलांग अथवा लावारिस गौवंश [illegible] जाने से [illegible] नहीं किया जायगा। यदि कोई संस्था ऐसा करती है तो [illegible] निधि से सहायता राशि देय नहीं होगी। इस सम्बन्ध में पूर्व में दिशानिर्देश जारी किये जा चुके हैं [illegible] उल्लेखित प्रावधानों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कराया जाना आवश्यक होगा। (प्रतिसंलग्न) परन्तु पशु क्रूरता अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानो को ध्यान में रखा जाना भी आवश्यक है।

viii. संस्था द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक प्रणाली को अपनाते हुए डाटा का संधारण कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना होगा। जिसमे समस्त डाटाबेस रखना ई-मेल आई.डी. लोकलाइज करना अनिवार्य है।

ix. संस्था द्वारा वृद्ध एवं बीमार पशुओं के लिए उचित चिकित्सा व्यवस्था करनी होगी एवं मृत पशुओं का निस्तारण वैज्ञानिक तरीके से करना होगा।

x. संस्था द्वारा विगत दो वर्षो की सी.ए. द्वारा की गई ऑडिट रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार गौशाला (जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग) के यहां आवेदन के समय प्रस्तुत करनी होगी।

xi. संस्था को विगत वर्षों में दी हुई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र, राशि स्वीकृत होने के 15 दिवस के अन्दर जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं देने की स्थिति में निधि से राशि स्वीकृत नहीं की जायगी।

xii. संस्था द्वारा अपनी आय के समस्त स्त्रोतों तथा व्यय का विवरण संस्था के प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना होगा अर्थात उक्त आय धार्मिक ट्रस्ट, कॉर्पोरेट हाउस या दानदाताओं से प्राप्त होती है अथवा अन्य उत्पाद जैसे दूध, गोबर, गौमूत्र अर्क, धूपबत्ती, वर्मीकम्पोस्ट, जैविक खाद, घी, छाछ इत्यादि के विक्रय से होती है। उक्त सूचना का प्रदर्शन नहीं करने पर निधि से सहायता राशि स्वीकृत नहीं की जायेगी।

xiii. संस्था के स्वामित्व एवं क्षेत्राधिकार में स्थित अचल सम्पत्ति यथा भूमि, भवन इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण मय दस्तावेज आवेदन के समय प्रस्तुत करना होगा।

xiv. गौशाला में अनियमितता पाये जाने पर दी जाने वाली सहायता राशि जिला गोपालन समिति द्वारा निरस्त/स्थगित की जा सकेगी।

xv. प्रत्येक संस्था को एक पृथक इकाई के रूप में माना जाकर ही सहायता राशि देय होगी अर्थात निधि से सहायता हेतु संस्था द्वारा संचालित सभी गौशालाओं का पृथक-पृथक पंजीयन कराना आवश्यक होगा।

xvi. ऐसी गौशालाएं, जो सिवायचक/चारागाह भूमि पर संचालित है उनमे केवल इसी बिन्दु के आधार पर संधारित गौवंश को गौसंवर्धन एवं संरक्षण निधि नियम, 2016 के अन्तर्गत सहायता राशि को नहीं रोका जायेगा, क्योंकि उक्त सहायता संधारित गौवंश के भरण-पोषण हेतु दी जा रही है।

xvii. यदि रजिस्ट्रार गौशाला/निदेशालय/शासन द्वारा किसी गौशाला को दण्डित किया जाता है या उसके विरूद्ध शास्ति लगाई जाती है उस स्थिति में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नही हो पाता है तो सम्बन्धित गौशाला की सहायता राशि उस वर्ष के लिए देय नहीं होंगी।

xviii. गौशाला के मुख्य द्वार पर सामाजिक अंकेक्षण हेतु गौशाला से सम्बन्धित समस्त सूचना का प्रदर्शन आवश्यक होगा। यदि किसी गौशाला द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसको सहायता राशि देय नहीं होगी।

xix. विभाग/निदेशालय द्वारा जारी निर्देशो की अवहेलना अथवा विभागीय संचालित योजनाओं में सहयोग नहीं करने पर संस्था/गौशाला को सहायता राशि देय नहीं होगी।

3. सहायता राशि की दर व शर्ते :—

i. गौशाला / कांजी हाउस को आच्छादित अवधि के लिए भुगतान [illegible] सर्वे / संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय टैगशुदा गौवंश की संख्या तथा आकस्मिक गणना के समय टैगशुदा गौवंश की संख्या में से, जो भी कम हो, के आधार पर बड़े गौवंश हेतु 40 रू तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रू. की प्रतिदिन की दर से किया जायेगा।

ii. गौशाला / कांजी हाउस को वास्तविक भुगतान उस अवधि में संस्था द्वारा [illegible] पानी तथा पशुआहार के वास्तविक गणना करते हुए बिल तथा भुगतान योग्य राशि [illegible] जो भी कम हो, के आधार पर किया जायेगा।

iii. गौशाला / कांजी हाऊस द्वारा आवासित गौवंश को संतुलित पशुआहार एवं चारा पानी दिया जाना सुनिश्चित करना होगा।

iv. सहायता राशि का उपयोग संधारित गौवंश के चारा–पानी, पशुआहार के लिए किया जायेगा। यदि गौशाला / कांजी हाऊस द्वारा पशुआहार क्रय किया जाता है तो आर.सी.डी.एफ. या राजफैड के वितरण केन्द्रों से ही क्रय किये जावे। पशुआहार आर.सी.डी.एफ. [illegible] के अलावा किसी भी अन्य संस्थानों से क्रय करने पर इस निधि से पशुआहार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

v. सर्वे / संयुक्त भौतिक सत्यापन के समय टैगशुदा गौवंश की संख्या तथा जिला स्तरीय समिति के द्वारा गठित दलो के माध्यम से की जाने वाली आकस्मिक गणना के समय टैगशुदा गौवंश संख्या समान हो परन्तु बडे एवं छोटे गौवंश की संख्या में भिन्नता हो तो उस स्थिति में छोटे गौवंश की अधिक संख्या जिसमें हो, उसको सहायता राशि की स्वीकृति का आधार माना जावेगा।

vi. संबंधित गौशाला / कांजी हाउस द्वारा माह 31 मार्च 2020 के पश्चात परन्तु 30 सितम्बर 2020 से पूर्व के चारा–पानी / पशुआहार क्रय के प्रमाणित बिल स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करने के पश्चात संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।

vii. गौशाला / संस्थाओं द्वारा इस अवधि के दौरान किसी अन्य विभाग जैसे आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग / वध से बचाये गौवंश योजना अन्तर्गत गोपालन विभाग अथवा अन्य राजकीय विभाग / बोर्ड / निगम से सहायता राशि या अनुदान का भुगतान हुआ हो उनको निधि से उस अवधि के दौरान उन गौवंशों के लिये सहायता राशि देय नहीं होगी।

4. <u>सहायता राशि का उपयोग, मोनिटरिंग एवं उत्तरदायित्व</u> :—

i. गौशाला / कांजी हाऊस में आवासित गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन तथा पालन पोषण हेतु आवंटित राशि का उपयोग एवं मोनिटरिंग गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित <u>"जिला स्तरीय गोपालन समिति"</u> द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।

<u>जिला स्तरीय गोपालन समिति</u> :—

जिला कलक्टर	अध्यक्ष
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद	सदस्य
जिला कोषाधिकारी	सदस्य
उप निदेशक, कृषि	सदस्य
जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग	सदस्य सचिव

[illegible] स्तरीय [illegible] समिति द्वारा आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण ([illegible]) व समस्त अभिलेखों को अपने कार्यालय में संधारित करना होगा। [illegible] अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग नियमित पर्यवेक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सहायता राशि [illegible] गौशाला को समय पर उपलब्ध हो जाये।

5 सहायता राशि हेतु आवेदन एवं भुगतान की प्रक्रिया :–

i. सहायता राशि प्राप्त करने हेतु पात्र गौशालाओं से आवेदन दिनांक 20.07.2020 से [illegible].08.2020 तक प्राप्त किये जावे। निर्धारित अवधि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं [illegible] जावे अर्थात उनको सहायता राशि देय नहीं होगी। गौशालाए ऑनलाईन आवेदन भी कर [illegible]।

ii. गौशाला / कांजी हाउस के संचालक / अध्यक्ष / प्रबंधक / सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप में जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को आवेदन किया जायेगा।

iii. जिला स्तरीय समिति के द्वारा गठित दलो (जिसमें एक अधिकारी जिला प्रशासन का अधिकारी एवं एक पशुपालन विभाग का पशु चिकित्सक होगा) के माध्यम से जिले की सभी पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश की आकस्मिक गणना दिनांक 10.08.2020 से 10.09.2020 में की जायेगी, इस आकस्मिक गणना में पाये गये टैगशुदा गौवंश की संख्या तथा सर्वे / संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाये गये टैगशुदा गौवंश की संख्या में से, जो भी कम होगा वह सहायता राशि की स्वीकृति का आधार होगा। आकस्मिक गणना के समय सभी पात्र गौशालाओं की वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करे।

iv. सयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बजट राशि की मांग की जावेगी एवं निदेशालय गोपालन द्वारा माँग अनुसार बजट संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को सहायता राशि के भुगतान हेतु बजट आवंटित किया जावेगा।

v. संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्तावों (आवेदन, शपथ पत्र, सर्वे / संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट तथा आकस्मिक गणना रिपोर्ट) को जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदन उपरान्त सहायता राशि की प्रशासनिक स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में जारी की जायेगी।

vi. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त संबंधित गौशाला / कांजी हाउस द्वारा चारा–पानी / पशुआहार क्रय के प्रमाणित बिल स्टॉक रजिस्टर में इन्द्राज करने के पश्चात अधिकतम 30 दिवस में संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करने होंगे। इस अवधि के पश्चात् जिला स्तर पर इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जायेगा।

vii. संस्थाओं से प्रमाणित बिल प्राप्त होने पर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग वित्तीय स्वीकृति निर्धारित प्रपत्र में जारी करेंगे तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार कार्यालय एवं निदेशालय गोपालन को भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा स्वीकृत बिलों का भुगतान कोष कार्यालय द्वारा गौशालाओं के बैंक खाते में RTGS के माध्यम से करायेंगे।

viii. जिला कार्यालयों को सहायता राशि हेतु आवंटित बजट की तारीख से अधिकतम 60 दिवस की समय सीमा में राशि का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा, उसके उपरांत जिला स्तर से कोई भी भुगतान नहीं किया जावेगा।

6. लेखा संधारण एवं निरीक्षण :–

i. संस्था / गौशाला द्वारा निम्न प्रकार के अभिलेखों का संधारण अनिवार्य रूप से किया जावेगा एवं इनका निरीक्षण एवं जांच पशुपालन / गोपालन विभाग के अधिकारियों तथा जिला कलक्टर द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा समय–समय पर किया जा सकेगा:–

- गौवंश संधारण एवं टैगिंग का रजिस्टर (निर्धारित प्रारूप)
- चारा–पानी, पशुआहार पंजिका (निर्धारित प्रारूप)
- रोकड़ बही।

ii. गौशाला / कांजी हाउसों में आवासित गौवंश के पालन पोषण एवं [illegible] के पालन उपयोग के पर्यवेक्षण हेतु जिला कलक्टर के निर्देशानुसार जिले के संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग / जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों द्वारा भी वर्ष में न्यूनतम एक बार [illegible] निरीक्षण किया जायेगा।

iii. अन्य दिशानिर्देशों / प्रक्रियाओं के संदर्भ में किसी भी संस्था / व्यक्ति द्वारा परिवाद [illegible] सलाहकार समिति को प्रस्तुत किया जा सकेगा। [illegible] समिति [illegible] के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जा सकेगा। सलाहकार समिति का निर्णय अंतिम एवं [illegible] होगा।

iv. शिकायत प्राप्त होने पर जांच का अधिकार निदेशक, गोपालन / जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग का होगा। जिसमें पूर्व अवधि के भुगतान की भी जांच की जा सकेगी। निदेशक गोपालन द्वारा किसी भी गोशाला की आकस्मिक / निर्धारित समय पर जांच करवाई जा सकेगी। जिसकी पालना में गोशाला को आवश्यक अभिलेख जांच के समय उपलब्ध करवाना होगा।

v. निदेशालय द्वारा गोशालाओं में निरीक्षण हेतु गठित टीमों के द्वारा यथासमय निरीक्षण में जो गौवंश संख्या मिली हो उसके आधार पर ही सहायता राशि की स्वीकृति जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा जारी की जाये। इसके लिए निरीक्षणकर्ता द्वारा निरीक्षण की एक प्रति सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को यथासमय उपलब्ध करवाई जायेगी।

vi. प्रत्येक गौशाला द्वारा प्राप्त सहायता राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्यक्ष / सचिव / कोषाध्यक्ष में से कम से कम दो पदाधिकारियों के हस्ताक्षर मय पद की मुहर के राशि स्वीकृत होने के 15 दिवस के भीतर संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को प्रस्तुत करना होगा। गौशाला / कांजी हाउस से उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त कर इकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में निदेशालय गोपालन को प्रेषित करेंगे।

vii. जिला कलक्टर / संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा सभी पात्र गौशालाओं / कांजी हाउस में संधारित गौवंश की आकस्मिक गणना के समय फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी आवश्यक रूप से करवायी जाये। जिससे टैगशुदा गौवंश की गणना वीडियोग्राफी देखकर किसी भी स्तर पर भी की जा सके। इस फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी की एक सीडी जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग को अनुदान भुगतान हेतु दिये जाने वाले बिल के साथ गौशाला प्रबंधन द्वारा आवश्यक रूप से देनी होगी। जिला कार्यालय प्राप्त सीडी से वर्ष के दौरान गौवंशों की संख्या का मिलान करेगें एवं कम पाये गये गौवंश की सूचना निदेशालय, गोपालन को प्रेषित करेगे तथा कम पाये गये गौवंश से संबंधित सहायता राशि की वसूली अगले चरण के समय दी जाने वाली सहायता राशि से किया जाना सुनिश्चित करेगें।

viii. अन्य आवश्यक शर्ते जो राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर निर्धारित की जावेंगी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार

शासन उप सचिव

दिनांकः—

एफ.डी 3( )/निगो/निधि सहायता/रा.स्त.सला.स.बै./2018/

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, खान एवं गोपालन विभाग, राज जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राज. जयपुर।

[illegible]

[illegible] संयुक्त [illegible] विभाग [illegible]

[illegible] मुद्रण राज. अजमेर।

[illegible] विभाग राज. [illegible]

[illegible] पशुपालन विभाग राज. जयपुर।

[illegible] निदेशक [illegible] जयपुर

[illegible] आयुक्त, राजस्थान।

[illegible] समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।

[illegible] समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान।

[illegible] समस्त जिला संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक कुचामनसिटी, पशुपालन विभाग [illegible]

निदेशक, गोपालन